



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220993
CG-DL-E-08082020-220993

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2364]
No. 2364]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2020/श्रावण 16, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2020/SHRAVANA 16, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

का.आ. 2665(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, डिप्टी कमिश्नरी कार्यालय रजौरी जिला राजौरी (NH 144A) के कि.मी 84.385 से 102, डिप्टी कमिश्नरी कार्यालय रजौरी जिला राजौरी (NH 144A) के कि.मी 84.385 से 102जम्मू और कश्मीर राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 144A पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	डिप्टी कमिश्नर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 144A के कि.मी. 84.385 से 102 तक	जम्मू और कश्मीर	राजौरी	सियोट	<table><tr><td>1</td><td>बाखर</td></tr><tr><td>2</td><td>सियोट</td></tr></table>	1	बाखर	2	सियोट
1	बाखर									
2	सियोट									
2	डिप्टी कमिश्नर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 144A के कि.मी. 84.385 से 102 तक	जम्मू और कश्मीर	राजौरी	नौशेरा	<table><tr><td>1</td><td>दान्देसर</td></tr><tr><td>2</td><td>लम्बेरी</td></tr></table>	1	दान्देसर	2	लम्बेरी
1	दान्देसर									
2	लम्बेरी									

[फा. सं. 4/3a]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2020

S.O. 2665(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 84.385 to 102 of Deputy Commissioner Office Rajouri Dist. rajouri (NH 144A) , 84.385 to 102 of Deputy Commissioner Office Rajouri Dist. rajouri (NH 144A) in the State of JAMMU & KASHMIR.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 144A in the State of JAMMU & KASHMIR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Deputy Commissioner	84.385KM To 102KM	JAMMU & KASHMIR	Rajouri	Siot	<table><tr><td>1</td><td>Bakhar</td></tr></table>	1	Bakhar
1	Bakhar							

						2 Siot
2	Deputy Commissioner	84.385KM To 102KM	JAMMU & KASHMIR	Rajouri	Nowshera	1 Dandesar 2 Lamberi

[F. No. 4/3a]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.